::आदेश::

चूँकि कोविड–19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है। इसलिए जन सुरक्षा हित में दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी **कोरोना कर्फ्यू संबंधी** इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 3424/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 25.04.2021 को **दिनांक 06.05.2021 तक विस्तारित किया जाता है।** अर्थात नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैन्ट, क्लेमनटाऊन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में **कोरोना कर्फ्यू** अब दिनांक 06.05.2021 की प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनो को **मध्यान्ह 12 बजे** तक सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगीः–

- फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
- शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
- निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।
- निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
- रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानो से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे।
- मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो के वाहनो को आवागमन में छूट होगी।
- कोविड–19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
- अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड–19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।
- आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।
- शासकीय कार्यालयों, बैकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

उक्त विषयक निर्गत आदेश संख्याः 3433/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 26.04.2021, आदेश संख्याः 3440/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 26.04.2021, आदेश संख्याः 3453/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 28.04.2021 तथा आदेश संख्याः 3464/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 29.04.2021 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था तदनुसार विस्तारित/ संशोधित/ समावेशित समझी जाय। साथ ही कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय–समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा–निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 pidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 3491 /सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक : 02,मई, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन।
10–समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, जनपद–देहरादून।
11–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।